अनौपचारिक रूप से
परामर्शित

पत्रांक 15/एम 1 – 06/09 अंश II

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक /2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत, बिहार राज्य में प्रथम चरण में 9 अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु कुल रू0 3,00,00,000/– (तीन करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत, बिहार राज्य में प्रथम चरण में 9 अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु कुल रू0 3,00,00,000/– (तीन करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 43 दिनांक 30.08.2013 द्वारा कुल 9 अनुमण्डलों में प्रति महाविद्यालय रू0 5,46,58,505/– (पाँच करोड़ छियालीस लाख अन्ठावन हजार पाँच सौ पाँच) की दर से कुल रू0 49,19,26,545/– (उनचास करोड़ उन्नीस लाख छब्बीस हजार पाँच सौ पैतालिस) मात्र पर करने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतुरू0 20,00,00,000/– (बीस करोड़) सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस चालू योजना के निमित सम्प्रति रू0 29,19,26,545/– (उनतीस करोड़ उन्नीस लाख छब्बीस हजार पाँच सौ पैतालिस) मात्र स्वीकृत किया जाना अवशेष है। इस अवशेष राशि के विरूद्ध इस स्वीकृत्यादेश द्वारा कुल रू0 3,00,00,000/– (तीन करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

3. इस योजना के तहत जिन अनुमंडलों में अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय स्थापित किए जाएँगे उनके नाम निम्नवत् है :–

(1). सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) (2). मनिहारी (कटिहार) (3). तेघड़ा (बेगूसराय) (4). बखरी (बेगूसराय) (5). बलिया (बेगूसराय) (6). वायसी (पूर्णिया) (7). बेनीपुर (दरभंगा) (8). बगहा (प0 चम्पारण) तथा (9). राजगीर (नालन्दा) है।

4. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या– 21, मुख्यशीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01 सामान्य शिक्षा, लधुषीर्ष 203– विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, उप शीर्ष–0108, राजकीय महाविद्यालय, विपत्र कोड़ – 21–4202012030108, विषयशीर्ष– 0108. 53. 01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया जा सकेगा।

5. राशि की निकासी अवर सचिव–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा नया सचिवालय, विकास भवन कोषागार से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर किया जायेगा एवं राशि की निकासी कर इसे बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के पी0एल0 खाता (पी0एल0 खाता–237) में जमा किया जाएगा एवं इसके व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि पर उद्भूत सूद की राशि की भी योजना के कियान्वयन में उपयोग की जाएगी एवं समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। योजना की गुणवत्ता के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे एवं किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।

7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 तथा संचिका संख्या 15/एम 1– 06/09 अंश II में दिनांक 13.02.2018 को पृष्ठ 176/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

8. स्वीृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

9. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश

निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

11. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

12. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1 – 06/09 अंश II /108 पटना, दिनाक 21/2/2018

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के निजी सहायक/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संबंधित सभी जिला पदाधिकारी /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /लेखापाल, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–5 एवं 15 शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/18
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव